संख्या-23/2023/744/2247247/2022/12-5099/1191/2019-88/2004टी0सी0

प्रेषक,

अमर चन्द्र,

अनु सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक

उ0प्र0, कृषि भवन,

लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 **लखनऊः दिनांकः 13 मार्च, 2023**

विषयः- फसलों की उत्पादकता तथा उत्पादन के आंकड़ों की डाटाबैंक योजना की कार्ययोजना की प्रशासनिक स्वीकृति के संबध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उ०प्र०, कृषि भवन, लखनऊ के पत्रांक-एस०-1889/डाटा बैंक योजना/2021-22, दिनांक 21.12.2021 एवं पत्रांक-एस०-2203/ डा०बैं०यो०/2022-23, दिनांक 02.11.2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त ''फसलों की उत्पादकता तथा उत्पादन के आँकड़ों की डाटा बैंक योजना'' योजना वर्ष 2022-23 से 2026-27 के मध्य (05 वर्षों तक) संचालित किये जाने हेतु कार्ययोजना की संशोधित धनराशि रू0 5163.00 लाख (रू० इक्यावन करोड़ तिरसठ लाख मात्र) की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है, जो निम्नवत् है :-

1.	योजना का नामः	**फसलों की उत्पादकता तथा उत्पादन के आंकड़ों का डाटा बैंक योजना**
2.	योजना का स्वरूपः	**राज्य पोषित योजना**
3.	योजना का कार्यक्षेत्रः	**प्रदेश के समस्त जनपद**
4.	नई अथवा चालू योजनाः	**चालू योजना**

5. योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नवत् हैं-

(i) प्रदेश में कृषि योजनाओं के ग्रामपंचायत स्तर पर क्रियान्वयन करने के मुख्य उद्देश्य से प्रमुख फसलों के ग्रामपंचायत स्तर पर क्षेत्रफल, उत्पादन तथा उत्पादकता का अनुमान आंकलित करना।

(ii) कृषि एवं खाद्य नीतियों के निर्धारण हेतु कृषि के आधारभूत ऑकड़ों का डाटा बैंक तैयार करना।

(iii) फसल बीमा योजनाओ के अन्तर्गत ग्रामपंचायत स्तर पर फसलों के उपज में नियमानुसार क्षति का आंकलन करते हुए बीमित कृषकों को क्षतिपूर्ति प्रदान कराना।

6. योजना से सम्बन्धित कार्यों के ससमय सम्पादन हेतु योजना के अन्तर्गत विभिन्न मदों में स्वीकृति हेतु वित्तीय माँग का विवरण निम्नवत् हैः-

प्रमुख फसलों के ग्रामपंचायत स्तर पर उपज के अनुमान में आंकलन हेतु फसलों पर निर्धारित संख्या में (लगभग 6.25 लाख) फसल कटाई प्रयोगों का सम्पादन कराया जाना आवश्यक है। फसलों पर किये जाने

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

हेतु फसल कटाई प्रयोगों के सम्पादन हेतु शासन द्वारा अनुमन्य मानदेय, मजदूरी एवं क्षतिपूर्ति का भुगतान नियमानुसार इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न मदों में धनराशि की मॉग की जा रही है। जिसका मदवार विवरण निम्नवत है-

1-मजदूरी (मानक मद 02)-

योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर प्रमुख फसलों के क्षेत्रफल पड़ताल के माध्यम से तथा फसलों के उत्पादन तथा उत्पादकता के अनुमानों के आंकलन के लिये प्रमुख फसलों पर प्रतिवर्ष फसल कटाई प्रयोग लेखपालो/राजस्व निरीक्षकों के माध्यम से सम्पादित कराते हुए कृषि सांख्यिकी कार्मिको के माध्यम से सांख्यिकी विधि से फसलों के क्षेत्रफल, उत्पादन तथा उत्पादकता के अनुमान आंकलित किये जायेगें। फसलों पर आयोजित प्रयोगो को सम्पादित करने हेतु शासनादेश के प्राविधानों के अनुसार **प्रति प्रयोग मजदूरी के लिये रूपये 80** का भुगतान किये जाने का प्राविधान है।

अतः मजदूरी मानक मद 02 में वर्षवार वित्तीय स्वीकृति का विवरण निम्नवत् है-

मानक मद	धनराशि लाख रू0 में					
	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2026-27	योग
02-मजदूरी	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	1250.00

2- मानदेय (मानक मद 07)-

प्रत्येक वर्ष खरीफ, रबी व जायद मौसमों में फसलो पर फसल कटाई प्रयोगो के सम्पादन हेतु राजस्व कार्मिकों को शासनादेश के प्राविधानों के अनुसार अनुमन्य मानदेय मद में प्रति प्रयोग रूपया 80 दिया जाना प्रस्तावित है।

अतः मानदेय मानक मद 07 में वर्षवार वित्तीय स्वीकृति का विवरण निम्नवत् है-

मानक मद	धनराशि लाख रू0 में					
	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2026-27	योग
07-मानदेय	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	1250.00

3- कार्यालय व्यय (मानक मद-08)-

फोटोस्टेट मशीन का क्रयः

राजकीय कार्यों के सुचारू सम्पादन हेतु कार्यहित में प्रत्येक मण्डल पर एक फोटोस्टेट मशीन तथा मुख्यालय स्तर पर 04 फोटोस्टेट मशीनें (रू0 2.00 लाख प्रति मशीन टैक्स सहित) इस प्रकार कुल 22 लेटेस्ट तकनीकी की फोटोस्टेट मशीनें क्रय हेतु धनराशि रू0 44.00 लाख तथा मुख्यालय, मण्डल व जनपद स्तर पर कार्यालय के व्यय हेतु धनराशि रू0 16.00 लाख इस प्रकार कुल धनराशि रू0 60.00 लाख की आवश्यकता होगी। अतः मानक मद-08 कार्यालय व्यय से वित्तीय वर्ष 2022-23 में धनराशि रू0 60.00 लाख तथा वर्ष 2023-24, वर्ष 2024-25, वर्ष 2025-26 एवं वर्ष 2026-27 तक प्रत्येक वर्ष हेतु रू0 30.00 लाख प्रतिवर्ष फोटोस्टेट मशीनों एवं मुख्यालय/मण्डल/जनपद के अनुरक्षण हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रस्तावित है।

अतः कार्यहित में मानक मद-08 कार्यालय व्यय में फोटोस्टेट मशीन के क्रय तथा कार्यालयी व्यवस्था के विविध व्यय हेतु मुख्यालय, मण्डल व जनपद स्तर पर कार्यालय के व्यय हेतु वर्षवार वित्तीय स्वीकृति का विवरण निम्नवत् हैः-

मानक मद	धनराशि लाख रू0 में					
	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2026-27	योग
08-कार्यालय व्यय	60.00	30.00	30.00	30.00	30.00	180.00

4. लेखन सामग्री एवं प्रपत्रों की छपाई (मानक मद-11)-

योजना के अन्तर्गत कृषि सॉख्यिकी की सूचनाओं के एकत्रीकरण, संकलन तथा विश्लेशण के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयुक्त होने वाली तालिकाओं/प्रपत्रों यथा फसल कटाई प्रयोगों (प्रतिवर्ष लगभग 6.25

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

लाख) से सम्बन्धित तालिका-1, 2 व 3 परिपत्र-अ, ब, स व कन्ट्रोल रजिस्टर, सारांश फार्म, रैण्डम नम्बर तालिकायें आदि तथा अन्य आवश्यक प्रपत्रों की छपाई हेतु आवश्कतानुसार मानक मद-11 लेखन सामग्री एवं प्रपत्रों की छपाई मद में वर्षवार वित्तीय माँग का विवरण निम्नवत् है:-

मानक मद	धनराशि लाख रू0 में					
	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2026-27	योग
11-लेखन सामग्री एवं प्रपत्रों की छपाई	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	150.00

5. कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण (मानक मद-12)-

योजना के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन एवं संचालन के लिए जनपद/मण्डल/मुख्यालय के कार्यालयों में कृषि सांख्यिकी कर्मियों हेतु कार्यालय प्रयोगार्थ अलमारी, कुर्सी व टेबिल की आवश्यकता हेतु कार्ययोजना में वर्षवार वित्तीय विवरण निम्नवत् है:-

मानक मद	धनराशि लाख रू0 में					
	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2026-27	योग
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	150.00

6. टेलीफोन/मोबाइल व्यय (मानक मद-13)-

जनपद तथा मण्डल स्तर से आंकड़ों के इन्टरनेट के माध्यम से मुख्यालय पर प्रेषित किये जाने हेतु प्रत्येक जनपद में इण्टरनेट डाटा रिचार्ज हेतु रू0 500 प्रतिमाह दिया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु वर्षवार वित्तीय मॉग का विवरण निम्नवत् है-

मानक मद	धनराशि लाख रू0 में					
	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2026-27	योग
13- टेलीफोन/ मोबाइल व्यय	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	30.00

7-अनुरक्षण (मानक मद-29)-

फैक्स मशीनों एवं अन्य उपकरणों आदि के अनुरक्षण हेतु मानक मद -29 वर्षवार वित्तीय मांग निम्नवत् है-

मानक मद	अनुमानित कुल धनराशि लाख रू0 में					
	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2026-27	योग
29-अनुरक्षण	15.00	15.00	15.00	10.00	10.00	65.00

8-अन्य व्यय (मानक मद-42)-

योजना के क्रियान्वयन हेतु समय-समय पर अन्य आकस्मिक व्ययों को भी कार्यहित में आवश्कतानुसार व्यय करना अपरिहार्य होता है तथा शासनादेश के प्राविधानुसार फसल कटाई प्रयोगों में फसलों की क्षति की प्रतिपूर्ति हेतु कृषक को प्रति प्रयोग रू0 100 दिया जाना प्रस्तावित है। अतः अन्य व्यय मानक मद-42 में उक्त हेतु वर्षवार वित्तीय माँग निम्नवत् है:-

मानक मद	धनराशि लाख रू0 में					
	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2026-27	योग
42-अन्य व्यय	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	1625.00

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

9. प्रशिक्षण व्यय (मानक मद-44)-

क्षेत्रीय एवं मुख्यालय स्तर पर कार्यरत नियमित कृषि सांख्यिकी कर्मियों को यथा आवश्यक प्राविधिक प्रशिक्षण तथा कम्प्यूटर के क्षेत्र में निरन्तर हो रहे विकास तथा नयी-नयी तकनीकियों के सफल संचालन के लिए निरन्तर प्रशिक्षित किया जाना नितान्त आवश्यक है। इन विभिन्न प्रशिक्षणों तथा उन पर होने वाले व्यय को मानक मद-44 प्रशिक्षण व्यय से किया जाना प्रस्तावित है। अतः इस मानक मद में वर्षवार वित्तीय माँग का विवरण निम्नवत् हैः-

मानक मद	धनराशि लाख रू0 में					
	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2026-27	योग
44-प्रशिक्षण व्यय	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	50.00

10- कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर का क्रय (मानक मद-46)-

कृषि सांख्यिकी सम्बन्धित कार्यो के त्वरित संचालन हेतु वर्ष 2022-23 से 2026-27 के अन्तर्गत जनपद/मण्डल/मुख्यालय स्तर पर कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरण क्रय एवं कम्प्यूटराइजेशन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इसे 5 चरणों में कराये जाने का प्रस्ताव किया जा रहा है। इस योजना के अर्न्तगत समस्त क्रय समय-समय पर जारी शासनादेशों के आलोक में गवर्नमेन्ट ई-मार्केट पोर्टल (GEM) के माध्यम से किया जायेगा।

7. प्रथम चरण (वर्ष 2022-23)-

उत्तर प्रदेश की फसलों की उत्पादकता तथा उत्पादन के आँकड़ों का डाटा बैंक योजना हेतु मुख्यालय/मण्डल/जनपद स्तर की कुल आवश्यकता 110 कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरणों के सापेक्ष 50 प्रतिशत के अनुसार पर 55 डेस्कटाप ऑल-ईवन, 55 यू0पी0एस0, 1 के0वी0ए0 विथ 30 मिनट बैकअप एवं 55 एम0एफ0पी प्रिंटर क्रय किया जाना प्रस्तावित है तथा उसके परिचालन हेतु मुख्यालय स्तर पर एम.एस. ऑफिस प्रोप्लस-2019 प्रोफेशनल/ स्टैन्डर्ड साफ्टवेयर व एंटीवायरस क्रय किया जाना प्रस्तावित है। मुख्यालय स्तर पर 10 एम0बी0पी0एस0 की इन्टरनेट कनेक्टिविटी के साथ-साथ 18 मण्डलों तथा सभी 75 जनपदों हेतु इंटरनेट कनेक्टिविटी हेतु 93 इंटरनेट डाटाकार्ड एक साल के डाटा वैलीडीटी के साथ क्रय करके उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। उक्त के अतिरिक्त मुख्यालय स्तर पर स्थापित डाटा सेन्टर की क्षमता में बृध्दि करते हुए पूर्व से स्थापित डाटा सेन्टर के हार्डवेयर उपकरणों को अपग्रेड करने एवं आवश्यकतानुसार साफ्टवेयर तैयार कराया जाना प्रस्तावित किया गया है जिस पर लगभग रू0-50 लाख का व्यय सम्भावित है। प्रस्तावित कार्यो हेतु प्रथम चरण में रू0 131.00 लाख का व्यय अनुमानित है।

8. द्वितीय चरण (वर्ष 2023-24) -

उत्तर प्रदेश की फसलों की उत्पादकता तथा उत्पादन के आँकड़ों का डाटा बैंक योजना हेतु मुख्यालय/मण्डल/जनपद स्तर की कुल आवश्यकता 110 कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरणों के सापेक्ष शेष 50 प्रतिशत के अनुसार पर 55 डेस्कटाप ऑल-ईवन, 55 यू0पी0एस0, 1 के0वी0ए0 विथ 30 मिनट बैकअप एवं 55 एम0एफ0पी प्रिंटर क्रय किया जाना प्रस्तावित है तथा उसके परिचालन हेतु मुख्यालय स्तर पर एम.एस. ऑफिस प्रोप्लस-2019 प्रोफेशनल/ स्टैन्डर्ड साफ्टवेयर व एंटीवायरस क्रय किया जाना प्रस्तावित है। मुख्यालय स्तर पर 10 एम0बी0पी0एस0 की इन्टरनेट कनेक्टिविटी एवं 18 मण्डलों तथा सभी 75 जनपदों हेतु इंटरनेट कनेक्टिविटी हेतु 93 इंटरनेट डाटाकार्ड के रिचार्ज कराया जाना है। प्रस्तावित कार्यो हेतु **द्वितीय चरण में रू0 82.00 लाख का व्यय** अनुमानित है।

9. तृतीय चरण (वर्ष 2024-25) -

मुख्यालय स्तर पर जनपदों/मण्डलों से प्राप्त आंकड़ों के रखरखाव, आंकड़ों की सुरक्षा, इन्टरनेट सर्विस प्रोवाइडर से 10 MBPS की लीज लाइन कनेक्टिविटी तथा यथावश्यक हार्डवेयर 2L2 नेटवर्क स्विचेस, दो टन क्षमता के 2 स्पिल्टि एयर कन्डीशनर क्रय करते हुए उपकरणों के इंस्टालेशन आदि प्रस्तावित है। 18 मण्डलों तथा सभी 75 जनपदों हेतु इंटरनेट कनेक्टिविटी हेतु 93 इंटरनेट डाटाकार्ड के रिचार्ज कराया

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

जाना है। इण्टरनेट लीज लाइन व ए0एम0सी0 चार्ज को सम्मिलित करते हुए तृतीय चरण में **रू0 21.00 लाख का व्यय अनुमानित** है।

10. चतुर्थ चरण (वर्ष 2025-26) -

उत्तर प्रदेश की फसलों की उत्पादकता तथा उत्पादन के आँकड़ों का डाटा बैंक योजना हेतु मुख्यालय स्तर पर एम0बी0पी0एस0 लिंक की एक वर्ष हेतु इंटरनेट कनेक्टिविटी तथा कम्प्यूटर, प्रिंटर, यू0पी0एस0 हेतु ए0एम0सी0 सेवा का भी व्यय सम्मिलित है तथा 18 मण्डलों तथा सभी 75 जनपदों हेतु इंटरनेट कनेक्टिविटी हेतु 93 इंटरनेट डाटाकार्ड के रिचार्ज कराया जाना है। उपरोक्त हेतु चतुर्थ चरण में **रू0 20.00 लाख का व्यय अनुमानित** है।

11. पंचम चरण (वर्ष 2025-26) -

भविष्य में ऑन-लाईन बैठकों के दृष्टिगत रखते हुए उत्तर प्रदेश की फसलों की उत्पादकता तथा उत्पादन के आँकड़ों का डाटा बैंक योजना के अर्न्तगत वीडीयो कान्फ्रेन्सिंग हेतु मण्डलीय कार्यालयों हेतु 18 एवं मुख्यालय हेतु 01 कुल 19, 55 इंच एल0ई0डी0 पैनल एवं सहवर्ती उपकरण (कैमरा एवं माईक) क्रय किया जाना प्रस्तावित किया गया है। उक्त के अतिरिक्त 18 मण्डलों तथा सभी 75 जनपदों हेतु इंटरनेट कनेक्टिविटी हेतु 93 इंटरनेट डाटाकार्ड के रिचार्ज कराया जाना है उपरोक्त हेतु पंचम चरण में **रू0 59.00 लाख का व्यय अनुमानित** है

उक्त पाँचों चरणों के कार्यो के सम्पादन हेतु इस पर होने वाला व्यय मानक मद-46 कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर के क्रय मद में वर्षवार वित्तीय मांग का विवरण निम्नवत् है।

मानक मद	**अनुमानित कुल धनराशि लाख रू0 में**					
	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2026-27	योग
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर का क्रय	131.00	82.00	21.00	20.00	59.00	313.00

12- कम्प्यूटर अनुरक्षण एवं तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय (मानक मद-47)-

जनपद/मण्डल/मुख्यालय पर स्थापित होने वाले कम्प्यूटरों के अनुरक्षण एवं तत्सम्बन्धी स्टेशनरी क्रय के लिए वित्तीय माँग का विवरण निम्नवत् हैः-

मानक मद	**अनुमानित कुल धनराशि लाख रू0 में**					
	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2026-27	योग
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण एवं तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	100.00

कम्प्यूटरों के अनुरक्षण एवं तत्सम्बन्धी स्टेशनरी क्रय का व्यय मानक मद-47 कम्प्यूटर अनुरक्षण एवं तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय मद से किया जायेगा।

उ0प्र0 में फसलों की उत्पादकता तथा उत्पादन के आँकड़ों का डाटा बैंक योजना का वर्ष 2022-23 से वर्ष 2026-27 तक का मदवार वित्तीय माँग का विवरण निम्न तालिका में दिया जा रहा हैः-

मानक मद	**धनराशि लाख रू0 में**					
	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2026-27	योग
02 मजदूरी	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	1250.00
07-मानदेय	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	1250.00
08-कार्यालय व्यय	60.00	30.00	30.00	30.00	30.00	180.00
11-लेखन सामग्री	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	150.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

एवं प्रपत्रों की छपाई						
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	30.00	30.00.	30.00	30.00	30.00	150.00
13-टेलीफोन/ मोबाइल व्यय	06.00	06.00	06.00	06.00	06.00	30.00
29-अनुरक्षण	15.00	15.00	15.00	10.00	10.00	65.00
42-अन्य व्यय	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	1625.00
44-प्रशिक्षण व्यय	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	50.00
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर का क्रय	131.00	82.00	21.00	20.00	59.00	313.00
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण एवं तत्सम्बन्धी स्टेशनरी क्रय	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	100.00
योग	1127.00	1048.00	987.00	981.00	1020.00	5163.00

13. योजना का औचित्यः-

योजना के क्रियान्वयन के फलस्वरूप फसलों के ग्राम पंचायत स्तर पर आच्छादन, उत्पादन तथा उत्पादकता के आँकड़ों को क्षेत्र स्तर से एकत्रित कर कम्प्यूटर की सहायता से आंकड़ों को त्वरित विष्लेषण तथा नेटवर्किंग के माध्यम से जनपद/मण्डल/मुख्यालय स्तर पर यथा आवश्यकतानुसार आदान-प्रदान करते हुए आंकड़ों को कृषि के समुचित विकास के उपयोग में लाया जाना सम्भव हो सकेगा तथा कृषि सॉख्यिकी के आंकड़ों का डाटा बैंक तैयार करते हुए कृषि तथा खाद्य नीतियों के निर्धारण तथा यथा आवश्यकतानुसार कृषि के क्षेत्र में भविष्य की योजनाओं के बनाने में सहयोग में लाना सम्भव हो सकेगा।

इसके अतिरिक्त कृषि के विकास के सम्बन्ध में हर स्तर के आंकड़ों (ग्राम पंचायत/न्याय पंचायत/ विकासखण्ड/तहसील/जनपद/मण्डल/प्रदेश स्तर) को सुगमता पूर्वक प्रदेश शासन तथा कृषकों को भी त्वरित गति से उपलब्ध कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

14- योजना का पूर्व की भॉति आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि की सीमान्तर्गत क्रियान्वयन किया जायेगा। अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति अन्य विभागीय योजनाओं के समन्वय से किये जाने का उत्तरदायित्व आपका होगा।

15- योजना का मिड टर्म इवैलुएशन कराने तथा इसे समयबद्ध रूप से वित्त विभाग को भी उपलब्ध कराने का उत्तरदायितव आपका होगा।

16- योजना का मूल्यांकन दिसम्बर, 2022 तक निश्चित रूप से सुनिश्चित किया जाए तथा योजना विस्तार पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने का उत्तरदायितव आपका होगा।

कृपया उपर्युक्तानुसार कार्ययोजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
अमर चन्द्र
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री कार्यालय/वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

2- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

3- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

4- निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उ०प्र०, कृषि भवन, लखनऊ।

5- वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, लखनऊ।

6- समस्त मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक/जनपदीय उप कृषि निदशक, उत्तर प्रदेश।

7- सहायक निदेशक (समन्वय एवं कम्प्यूटर), कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को पोर्टल पर व्यवस्था करने हेतु।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अमर चन्द्र
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।